Smt Sashila
1
26/11

संख्याः एएचवाई–डी(4)–3/2021
पशु पालन विभाग
हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रेषक

सचिव (पशुपालन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रेषित

सचिव
हिमाचल प्रदेश, विधान सभा
शिमला–4

दिनांक शिमला–2 31 अकटूबर, 2022

विषयः हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्याक 2) के अन्तर्गत नियमों का सृजन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके पत्र संख्या वि0स0–अ0वि0स0–गोवंश संरक्षण अधि0/7–2/19 दिनांक 21–01–2020 के सन्दर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्याक 2) के अन्तर्गत नियमों का सृजन करने बारे विभागीय उत्तर की प्रति Online तथा 3 प्रतियां अधिप्रमाणित (हिन्दी एवं अंग्रेजी) करके आपको आगामी कार्यवाही हेतू प्रेषित है ।

भवदीय,

(डा0 अजय शर्मा)
सचिव (पशुपालन)
हिमाचल प्रदेश सरकार
दूरभाष 0177–2880667

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि दिनांक शिमला–2 31 अक्टूबर, 2022

प्रतिः निदेशक, पशुपालन हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित है ।

(उर्मिला गुप्ता)
संयुक्त सचिव (पशुपालन)
हिमाचल प्रदेश सरकार
दूरभाष 0177–2880848

DD (CGSA)
22.11.22

मसौदा

हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन

नियम, 2022

हिमाचल प्रदेश सरकार
पशुपालन विभाग

नस्ति संख्या एच पी जी एस ए -9/2019–नियम दिनांक सितम्बर, 2022

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश गौवंश संरक्षण और संवर्धन अधिनियम, 2018 (2019 का अधिनियम संख्याक 2) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :–

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन नियम, 2022 है ।

(ii) ये नियम राजपत्र, ई–गजट हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. परिभाषाएं:–

(1). इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "अधिनियम" से, हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन अधिनियम, 2018 (2019 का अधिनियम संख्याक 2) अभिप्रेत है;

(ख) "भत्ते" से, राज्य सरकार द्वारा यथाविहित चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और कोई अन्य भत्ता अभिप्रेत है ;

(ग) "निदेशक" से, निदेशक पशुपालन, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(घ) "फीस" से, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रीकरण फीस या इन नियमों के नियम 7 के अधीन फीस अभिप्रेत है;

(ड़) "प्ररूप" से, इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है

(च) "नोडल अधिकारी" से, पशुपालन विभाग का सहायक निदेशक से अन्यून का अधिकारी जो सदस्य सचिव के निमित कार्य करने को नियुक्त किया गया हो और जो आयोग के आहरण और से वितरण अधिकारी के कर्तव्यों का भी पालन करेगा अभिप्रेत है

(छ) "विशेष आमंत्रिति" से, आयोग के कियाकलापों तथा बैठकों में भाग लेने हेतु हकदार विशेष नामनिर्देशिती व्यक्ति अभिप्रेत है;

(2). उन शब्दों और पदों, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं है, के वही अर्थ होंगे जो कमशः उनके अधिनियम में है ।

3. अर्हता और प्रकिया:–

(1) गैर–सरकारी सदस्य हिमाचल प्रदेश के निवासी होंगे, जो आवारा पशुओं के पुनर्वास और पशुओं की भारतीय नस्ल के जर्म प्लास्म के संरक्षण के लिए असाधारण कार्य कर रहे हैं। सदस्यों को सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) गैर–सरकारी सदस्यों को किसी भी वेतन या मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा, हालांकि, राज्य सरकार के वर्ग–I अधिकारियों को देय दरों पर भत्तों का भुगतान किया जाएगा।

4. गैर–सरकारी सदस्यों के निबन्धन और शर्तें:–

गैर सरकारी सदस्यों को कोई वेतन या मानदेय का संदाय नहीं किया जाएगा, तथापि, राज्य सरकार के वर्ग–I अधिकारियों को यथा लागू भते का संदाय किया जाएगा।

5. उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, मानदेय और भत्ते :– आयोग के उपाध्यक्ष को आवास, व्यक्तिगत कर्मचारीवृन्द (स्टॉफ) और यान, जैसा राज्य सरकार के वित विभाग द्वारा समय–समय पर शासित है, के अतिरिक्त आयोग की निधि से वेतन और भत्ता संदत्त किया जाएगा।

6. अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें:–

(1). पशुपालन विभाग से आंतरिकरण के माध्यम से आयोग में प्रतिनियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन विभाग में रिक्त पदों के विरूद्ध, यदि संभव हो लगातार आहरित किया जा सकेगा, अन्यथा उसे आयोग की निधि से आहरित किया जा सकेगा यदि ऐसी रिक्तियां और पद विभाग में विद्यमान नहीं है।

(2). आयोग में प्रतिनियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन आयोग की निधि से आहरित किया जाएगा। ऐसे पदों की दशा में जिनकी हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों आयोगों, बोर्डो, निगमों संघों आदि में कोई अन्य नाम पद्धति हो सकेगी। और समरूप पदों का समतुल्य वेतनमान होगा।

(3). चिकित्सा, यात्रा और दैनिक भत्ते या कोई अन्य भत्ता सरकार के मानदण्डों के अनुसार संदत्त किया जाएगा ।

7. संस्था का रजिस्ट्रीकरण और उनके लेखों की संपरीक्षा –**(1)** आयोग गोवंश के संरक्षण, संवर्धन और कल्याण में अन्तर्विलत निम्नलिखित संस्थानों को फीस के रूप में आयोग को 500 रूपए को संदाप करके रजिस्टर करेगा, अर्थात् :–

(i). गौसदन :–परित्यक्त, आवारा और दुर्बल पशुओं को सहारा प्रदान करने, चारा देने और उपचार प्रदान करने वाले संस्थानों को गौसदन के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।

(ii). गौ अभ्यारण्यः–तारबन्धित बड़ा क्षेत्र, को इस तरह से विकसित किया गया हो कि जिसमें पशुओं को सहारास्थलों के साथ कुछ खुला चरने की जगह भी उपलब्ध हो, केवल उन्ही गौ अभ्यारण्य के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।

(iii). गौशालाएं:–गाय की स्वदेशी नस्लों के विकास एंव संरक्षण के लिए कार्यरत संस्थाओं को गौशालाओं के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा;

(iv). गौ विज्ञान केंन्द्रः–संस्था, जो गौ उत्पादों एंव पर अनुसंधान करती है या गाय से सम्बधित उत्पादों का विनिर्माण करती है, को गौ विज्ञान केंद्र के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा;

(v). कोई अन्य ऐसी संस्था, जो किसी भी नाम से जानी जाने वाली जिसे आयोग अधिनियम के प्रयोजन को कार्यन्वित करने के उद्देश्य से अनुकरणीय कार्य करने के रूप में मानता है।

(vi). संस्थान इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध I,II,III, और IV के अनुसार रजिस्ट्रीकरण के लिए आयोग को आवेदन करेगा।

(vii).हिमाचल प्रदेश गोवंश संवर्धन बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत समस्त संस्थान स्वतः हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग के साथ रजिस्ट्रकृत होंगे। उनका रजिस्ट्रीकरण साधारणतः आयोग को अंतरित किया जाएगा।

(2) आयोग रजिस्ट्रकृत संस्था को एक प्रमाणपत्र जारी करेगा। आयोग पहले से विद्यमान ऐसे गौ सदनों/गौशालाओं, गौशरणालयों और गौ विज्ञान केंद्रों आदि को अंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा जिनकी भूमि की प्रास्थिति स्पष्ट नहीं है इस प्रकार की संस्थाओं को पशुपालन विभाग के नाम पर अंतरित होने के पश्चात् ही रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

(3) आयोग रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं को उपाबन्ध–V के अनुसार प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(4) आयोग उपाबन्ध–VI के अनुसार संस्थाओं का एक रजिस्टर अनुरक्षित करेगा।

(5) आयोग संबंधित जिला कार्यालयों को रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं, जो किसी सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त करती है के लेखों की संपरीक्षा करवाने के लिए निर्देश जारी करेगा।

8. आयोग की शक्तियां और कृत्यः–

(1) उपाबन्ध, VII और VIII पर संस्था द्वारा यथा आवेदित संस्थानों का, जब कभी समय–समय पर अनुमोदित स्कीम के अनुसार अपेक्षित हो, रजिस्ट्रीकरण करके, निरीक्षण करके और सहायता उपलब्ध करवाएगा।

(2) आयोग सरकार की सहमति से ऐसे अधिकारियों जैसे यह आवश्यक समझे, को अपने कर्मचारियों के रूप में या तो सेकंडमेंट के आधार पर या भर्ती द्वारा नियुक्त कर सकेगा।

(3) यह अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा प्रत्याशित कार्यों की सिफारिश करेगा।

(4) यह गुणागुण के आधार पर प्राप्त वित्तीय सहायता के प्रस्तावों का परीक्षण करेगा तथा उस पर अनुमोदन प्रदान करेगा। जिसमें गाय की देशी नस्लों के संरक्षण के लिए परियोजनाओं के अतिरिक्त गौ सदनों, गौशालाओं, गौ शरणालयों, नंदीशालायों गौ–विज्ञान केंन्द्र तथा गौ उत्पाद इकाइयों की स्थापना करने तथा उनको चलाने के लिए प्रस्ताव भी सम्मलित होंगे।

(5) यह सरकार के वित्तीय नियमों के अनुसार अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार गाय के कल्याण के प्रयोजनों हेतु अनुदान प्राप्त करेगा तथा दान (चैरिटि) आंबटित करेगा। यह अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु ऐसे व्यय करने हेतु जैसे यह आवश्यक समझे । ऐसे व्यय भी उपगत करेगा ।

(6) यह समय–समय पर ऐसी, स्कीम जैसी यह आवश्यक समझे विरचित और अधिसूचित करेगा।

9. आयोग का बजटः– आयोग प्रत्येक वर्ष 20 मार्च से पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष का बजट तैयार करेगा।

सचिव, (पशुपालन) हिमाचल प्रदेश सरकार।

सचिव (पशुपालन)
हिमाचल प्रदेश सरकार
शिमला-171002

उपाबन्ध–1

(नियम 6 देखें)

संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

संस्था का नाम.....

वह श्रेणी जिसके अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत किया जाना है: गोसदन/गौशरणालय गोशाला /गोविज्ञान केन्द्र /अन्य। (नाम निर्दिष्ट किया जाए .....)

सेवा में,

सदस्य सचिव,

हिमाचल प्रदेश गोसेवा आयोग,

शिमला–5

विषयः– "हिमाचल प्रदेश गौवंश संरक्षण और संवर्धन नियम, 2022 के अन्तर्गत संस्था के रजिट्रीकरण के लिए आवेदन।

महोदय,

उपरोक्त "हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन नियम, 2022", "हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन अधिनियम, 2018 के उपाबन्धों के अधीन गाय के संरक्षण, संवर्धन और कल्याण में रत संस्था के रजिस्ट्रीकरण का उपबन्ध करते हैं।

अब, यह संस्था, उक्त नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने का आशय रखती है, अतः यह आवेदन ऐसी विशिष्टयों, जो अपेक्षित हो सहित तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जा रहा है ।

.....बैंकमें .....

रूपये के कास्ड डिमांड ड्राफ्ट नम्बर .....तारीख.....

को भी रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में संलग्न किया गया है।

पूरा पताः

.....

.....

.....

संस्था प्रमुख

संस्था की मुहर

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण:

1. संगठन का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र
2. संस्था के संविधान/उपविधियों की प्रति।
3. प्रबंध समिति द्वारा अंगीकृत संकल्पों /अधिनियम के अधिदेश से संबधित बैठक कार्यवाहियों की प्रति।
4. पशु चिकित्सा अधिकारी और/या हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग के सदस्य /विशेष आमंत्रित सदस्य द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित किए गए पिछले एक वर्ष में गौवंश के संरक्षण, पुनर्वास, संवर्धन और कल्याण से संबंधित कियाकलापों की सूची।
5. भूमि के स्वामित्व से संबंधित कागजपत्र ।
6. समपरीक्षित वित्तीय रिपोर्ट/ कागजपत्र ।
7. उपाबन्ध VIII के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक से उसके शीर्षनामे पर खाता विवरण सत्यापित करते हुए प्रमाण पत्र ।
8. सार्वजनिक दान आदि सहित अन्य स्त्रोतों से अतीत में प्राप्त वित्तीय सहायता के ब्यौरे।
9. जहां संस्था की स्थापना का प्रस्ताव है उस पंचायत और स्थानीय प्रशासन में (उपाबन्ध IV) के साथ–साथ पशु चिकित्सा अधिकारी से (उपाबन्ध III) में सिफारिश प्रमाण पत्र/पत्र।

आवेदन की तारीखः

हस्ताक्षर
(संस्था का प्रमुख)

रसीद

केवल पांच सौ रूपये का बैंक ड्राफ्ट नंबर.....तारीख .....
.....के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्र सुसंगत दस्तावेजों की प्रतियों के साथ प्राप्त हुआ है ।

तारीखः

सदस्य सचिव
हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग,
शिमला ।

उपाबन्ध–II

(नियम 6 देखें)

संस्था का विवरण

1. संस्था का नाम .....

   .....

   स्थापना की तारिख– .....

2. पता .....

   .....

3. विलेख या लिखट या ऐसा उद्धहरण, जो उनका परावर्तन कर सके, की प्रतियों सहित संस्था के लक्ष्य और उद्धेश्य ।
4. यदि यह किसी भी अधिनियमित के अधीन रजिस्ट्रीकृत है तो रजिस्ट्रकरण प्रमाण पत्र।
5. सुसंगत दस्तावेजों सहित संस्था की उपविधियां।
6. संस्था से सम्बन्धित धारित पद सहित न्यासी (ट्रस्टी) सदस्यों के नाम और पते।
7. संस्था के कर्मचारी, यदि कोई हो:
8. पशुधन का विवरण:–
   संख्या.....नस्ल, यदि विशेष हो.....

   (i) गाय: दूध देने वाली– दूध न देने वाली–
   (ii) बछड़ियां
   (iii) बैल
   (iv) सांण्ड
   (v) बछड़े–नर/मादा
   (vi) अन्य पशुधन (प्रकार वर्णित करें)

9. संस्था की पिछले पांच वर्षों में दूध और अन्य गाय उत्पादों, के नाम के साथ की बिक्री से आय — 1. 2. 3. 4. 5.
10. संस्था द्वारा हस्ति भूमि की पूर्ण विशिष्टियां: — कृषि घास चारागाह — अन्य प्रवर्ग
    (क) सिंचित
    (ख) गैर– सिंचित
11. भूमि उपयोग वर्गीकरण:
12. आय के स्त्रोत:–
    पिछले पांच वर्षों में सरकारी अभिकरणों से अभिप्राप्त राशि

    पिछले पांच वर्षों में अन्य स्त्रोतों से अभिप्राप्त राशि

13. पिछले पांच वर्षों में उपगतकियाकलाप वार व्यय:
    1. आधारिक संरचना पर: 1. 2. 3. 4. 5.
    2. दाना चारा पर: 1. 2. 3. 4. 5.
    3. श्रम/जन शक्ति /वहन आदि पर 1. 2. 3. 4. 5.
14. पिछले तीन वर्षों का संपरीक्षित लेखा –
15. अन्य सूचना:

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

उपाबन्ध–III

नियम 6 देखें

पशुपालन विभाग के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी/ पशु चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र।

सेवा में,

सदस्य सचिव
हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था नीचे दिए गए नाम अनुसार, अपने गोसदन /गौशाला/गौविज्ञान केंद्र/अन्य संस्था में गौवंश पाल रही है ।

या

अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार गाय के संरक्षण /संवर्धन/कल्याण के घटक को पूरा करने के लिए ऐसी संस्था स्थापित करने और उसकी आवश्यकता का प्रस्ताव कर रही है।

1. संगठन का नाम और पता:
2. संस्था का नाम और पता चालू या प्रस्तावित:
3. उक्त संस्था में सहारा दिए गए/सहारा देने के लिए प्रस्तावित किए गए पशुओं की संख्या:

1	2	3	4	5	6	7	8
दूध न देने वाली गाय	दुधारू गाय	बचाए गए बैल	बैल/सांड	मादा बछडे	नर बछडे	कुल	वहन क्षमता

4. पिछले तीन वर्षों में कुल पुनर्वासित/बचाए गए/अपनाए गए पशुओं की संख्या

(i)

(ii)

(iii)

5. संगठन द्वारा अनुरक्षित उपचार रजिस्टर के अनुसार पिछले तीन वर्षों में उपचारित पशुओं की कुल संख्या :

वर्ष	संस्थान में	पशु–चिकित्सालय/औषधालय में लाए गए	घटना स्थल पर (ऑन द स्पॉट)	कुल
(i)				
(ii)				
(iii)				

स्थान:

तरीख:

हस्ताक्षर एंव शासकीय मुहर
अधिकारी का नाम:
पदनाम:
मोबाइल और ईमेल:

उपनिदेशक (पशु स्वास्थ्य /प्रजनन) द्वारा
प्रतिहस्ताक्षरित

उपाबन्ध–IV

{ नियम 6 देखें}

स्थानीय निकाय अर्थात, पंचायत/ग्राम समिति/ग्राम सभा/नगर निगम–परिषद/राजस्व विभाग के शीर्षपत्र पर अभिप्राप्त किया जाने वाला प्रमाणपत्र

सेवा में,

सदस्य सचिव

हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था नीचे दिए गए नाम के अनुसार अपने गोसदन/ गौशाला/गोविज्ञान केंद्र/ अन्य संस्था गौवंश पाल रही है।

या

अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार गाय के संरक्षण /संवर्धन/कल्याण के घटक को पूरी करने के लिए ऐसी कोई संस्था स्थापित की जानी और उसकी आवश्यकता का प्रस्ताव न्यायसंगत है:

1. संगठन का नाम और पता:
2. संस्था का नाम और पता (चालू/प्रस्तावित):
3. संपर्क विवरण के साथ अध्यक्ष/सचिव/संपर्क व्यक्ति का नाम:
5. उक्त संस्था में सहारा दिए गए/सहारा दिए जाने के लिए प्रस्तावित पशुओं की कुल संख्या:
6. निम्नलिखित कारणों से उक्त संस्था की आवश्यकता न्यायसंगत है:

उपरोक्त संगठन के प्रत्यय पग, जो प्रस्तावित संस्थान को स्थापित करने/संचालित करने का प्रस्ताव करती है, के एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है ।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर एंव शासकीय मुहर
अधिकारी का नाम:
पदनाम:
गोबाइल और ईमेल:

उपनिदेशक (पशु स्वास्थ्य /प्रजनन) द्वारा
प्रतिहस्ताक्षरित

उपाबन्ध–V

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

{ नियम 6(3) देखें}

प्रमाणित किया जाता है कि .....को कमांक संख्या .. ..पर,हिमाचल प्रदेश गौ संरक्षण और संवर्धन अधिनियम, 2018 (2019 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 13 (1) के उपबन्धों के अनुसार.....गोसदन/ गौशाला/गौ शरणालय/गौविज्ञान केंद्र/ अन्य के रूप में आयोग की संस्था के रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत किया गया है और विरचित नियमों की निम्न शर्तों के अध्यधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करता हैं :–

1. संस्था अपने संविधान का पालन करेगी।
2. संस्था अपने कार्यों का उन उद्देश्यों के लिए निर्वहन करेगा जिनके लिए इसका गठन किया गया है।
3. संस्था की किसी सम्पति का आयोग की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी रीति में व्ययन नहीं किया जाएगा ।
4. संस्था के नाम पर अभिप्राप्तसभी आगम का लेखा–जोखा उचित पुस्तकों में होगा और चार्टर्ड लेखापाल या तत्स्थानी अभिकरणों द्वारा लेखा संपरीक्षित किया जाएगा।
5. संस्था अपना संपरीक्षित लेखा और इसके ब्यौरे,आयोग द्वाराजब कभी यदि मंगवाए जाने आपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगी।

दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि एतद्द्वारा संस्थान की उचित अभिरक्षा और रिकॉर्ड के लिए वापस की जाएगी।

स्थान:
तारीख :

सदस्य सचिव
हिगाचल प्रदेश गौसेवा आयोग

उपाबन्ध–VI

संस्थाओं का रजिस्टर

संस्था का नाम .....

पता.....

उद्देश्य.....

(विनिर्दिष्ट किया जाना है कि संस्थान केवल स्वदेशी गोवंश का पालन करता है/पालने का प्रस्ताव करता है)

स्थापना की तारीख.....रजिस्ट्रीकरण संख्या .....अधिनियमिति के अधीन रजिस्ट्रीकृत है:–

रजिस्ट्रीकरण की तारीख (1)	आवंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या (2)	कार्यकारी निकाय के सदस्यों के नाम एंव पता (3)	कार्यकारी निकाय के उत्तराधिकार की रीति (4)

पल रहे पशुधन के ब्यौरे

गायें			बैल/बछडे	रखे गए कुल गोवंश	कुल वहन क्षमता
दूध न देने वाली गाय (5)	दुधारू (6)	अशक्त (दुर्बल) (7)	(8)	(9)	(10)

आय के सकल ब्यौरे (प्राप्तियां/आगम) और संस्था का व्यय

पिछले पांच वर्षों में सरकारी अभिकरणों से			पिछले पांच वर्षों में अन्यस्त्रोतों से (सार्वजनिक योगदान)				
प्राप्त रकम (11)	रकम व्यय (12)	प्रयोजन (13)	अभिकरण (14)	प्राप्त रकम (15)	रकम व्यय (16)	प्रयोजन (17)	स्त्रोत (18)

अचल सम्पति के ब्यौरे

कृषि भूमि (19)	मूल्य (20)	गैर कृषि भूमि (21)	मूल्य (22)	भवन (23)	मूल्य (24)

चलसम्पति के ब्यौरे

पशुधन (25)	मूल्य (26)	प्रतिभूतियां (27)	मूल्य (28)	विनिधान (29)	नकद मूल्य (30)	उपस्कर (31)	उपकरण (32)	यान (33)

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

उपाबन्ध–VII

{नियम 7 देखें}

किसी संस्था के लिए हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग से वित्तीय सहायता हेतु आवेदन

संस्था का नाम.....
वह श्रेणी जिसके अन्तर्गत रजिस्ट्रकृत गोसदन/ गौशाला/गौविज्ञान केंद्र/ अन्य (नाम विनिर्दिष्ट किया जाएः.....
.....)

सेवा में,

सदस्य सचिव,

हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग,

शिमला–5

विषयः– "हिमाचल प्रदेश गौवंश संरक्षण और संवर्धन नियम, 2022" के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्था को वित्तीय सहायता के लिए आवेदन।

महोदय,

उपरोक्त "हिमाचल प्रदेश गौवंश संरक्षण और संवर्धन नियम, 2022 में "हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन अधिनियम, 2018" के उपबन्धों के अधीन गाय के संरक्षण, संवर्धन और कल्याण में रत संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपबन्ध करते है।

अतः अब यह संस्था उक्त नियमों के अधीन ऐसी वित्तीय सहायता प्राप्त करने का आशय रखती है, अतः यह आवेदन ऐसी विशिष्टियों, जैसी अपेक्षित हैं के साथ तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूरा पताः

_____

_____

संस्था का प्रमुख,
संस्था की मुहर

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के विवरण:–

1. संगठन का हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग के साथ रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र।
2. उस प्रस्ताव की प्रतिलिपि जिसके लिए अवसंरचना विकास/संवर्द्धन/संस्था संचालन हेतु सहायता मांगी जा रही है।
3. पशु चिकित्सा अधिकारी/ हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग के सदस्य /विशेष आमंत्रित सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित किए गए पिछले एक वर्ष में गाय के संरक्षण, पुनर्वास, संवर्धन और कल्याण से संबंधित कियाकलापों की सूची।
4. एक शपथ पत्र पर सीएसआर और अन्य अभिकरणों के अन्तर्गत सरकारी विभागों/ अभिकरणों, सार्वजनिक दान सहित अन्य स्त्रोतों से, पूर्व और वर्तमान में मांगी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे।
5. भूमि के स्वामित्व से संबंधित कागजपत्र ।
6. संपरीक्षित वित्तीय रिर्पोटें/कागजपत्र।
7. सार्वजनिक दान आदि सहित अन्य स्त्रोतों से अतीत में प्राप्त वित्तीय सहायता के ब्यौरे।
8. पंचायत/स्थानीय प्रशासन के साथ–साथ पशु चिकित्सा अधिकारी और उप निदेशक द्वारा संस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव।
9. सरकारी विभाग/अभिकरण में नियोजित सिविल इंजीनियर द्वारा तैयार किया गया या उसके द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित विस्तृत आक्कलन के साथ परियोजना प्रस्ताव की प्रतिलिपि।
10. उपाबन्ध–VIII के अनुसार लेखा ब्यौरे सत्यापित करते हुए शीर्षनामा पर राष्ट्रीयकृत बैंक से प्रमाण–पत्र।

आवेदन की तारीख :

हस्ताक्षर
संस्था प्रमुख के

उपाबन्ध–VIII

{ नियम 6 और 7 देखें}

(बैंक के शीर्षपत्र पर प्राप्त किया जाए)

सेवा में,

सदस्य सचिव,

हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग।

हम नीचे वर्णित संगठन जिसका हमारे बैंक में लेखा है, की निधियों के अंतरण हेतु निम्नलिखित ब्यौरों का एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं:–

1. संगठन का नाम :
2. संगठन का पता:
3. बैंक का नाम, शाखा एवं पता
4. संगठन का खाता संख्या:
5. बैंक का आई. एफ.एस.सी.कोड नम्बर
6. संगठन के हस्ताक्षरकर्ताओं का नाम, पता और पदनाम

हस्ताक्षर
बैंक का नाम और मुहर

उपाबन्ध–IX

{नियम–8 देखें}

वार्षिक रिर्पोट

हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग के वार्षिक आय और व्यय का विवरण।

अवधिः–

वर्ष	स्त्रोत	कुल प्राप्ति	कुल प्राप्तियां	व्यय			अतिशेष राशि
	आदि अतिशेष			क0सं0	विशिष्टयां		
	सहायता अनुदान			1	गाय शरणालय / बड़ा गोसदन		
	बैंक ब्याज			2	नए गोसदन		
	रजिस्ट्रीकरण			3	गोसदन का विस्तार		
	आबकारी एंव कराधान (शराब उपकर)			4	एफ0सी0ए0 सलाहकार		
	मंदिर न्यास			5	गौसदन को सहायता (500 / –प्रति गाय / प्रति मास)		
	अन्य प्राप्तियां			6	गोसदन खजियां के लिए तूड़ी		
				7	आउटसोर्स कर्मचारी को वेतन		
				8	किराए के वाहन और अन्य कार्यालय के व्यय		
				9	उपाध्यक्ष का मानदेय		
				10	एच.पी. जी. एस.ए. बैवसाइट		
				11	अन्य, यदि कोई हो		
				कुल			तारीख..... को अतिशेष राशि